

संचालनालय,भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, 1 शिवाजी नगर,भोपाल

कमांक:एफ 17/सं.नि./2018/5875

भोपाल,दिनांक 03/10/2018

**चिकित्सा अधिकारियों की संविदा नियुक्ति
आवेदन की अंतिम तिथि 03.11.2018**

मध्यप्रदेश शासन,भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अंतर्गत संचालित गैस राहत चिकित्सा इकाईयों में चिकित्सा अधिकारियों (एम.बी.बी.एस.)के रिक्त पदों पर संविदा आधार पर नियुक्ति की जाने हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन पत्र कार्यालय संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय,भवन(पंचम तल) गैस राहत, हमीदिया अस्पताल परिसर, भोपाल से विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 03.11.2018 दिन शनिवार तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए रु. 500/- (रु. पाँच सौ मात्र) तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए रु. 250/- (रु. दो सौ पचास मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो कि संचालक,भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, भोपाल के नाम से देय हो जमा कर प्राप्त कर किये जा सकते हैं। भरे हुए आवेदन पत्र मय प्रमाण पत्रों की स्वयं सत्यापित प्रतियों के साथ समक्ष में या पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक 03.11.2018 दिन शनिवार सायं 5:00 बजे तक कार्यालय संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय भवन (पंचम तल) गैस राहत,हमीदिया अस्पताल परिसर,भोपाल 462001 में जमा किए जा सकते हैं। डाक के माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र भी निर्धारित दिनांक एवं निर्धारित समय तक प्राप्त होना अनिवार्य है। किसी भी डाक विलम्ब के लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

यह विज्ञापन विभागीय वेबसाईट WWW.bgtrrd.mp.gov.in पर भी देखा जा सकता है।

(1) रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार हैं (जिनमें कमी या वृद्धि हो सकती है) :-

पदनाम	संविदा वेतन	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता	वर्गवार रिक्त पदों की संख्या				
			सामान्य (अनारक्षित)	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल रिक्त पद
चिकित्सा अधिकारी	रु 50,070/- प्रतिमाह	भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस की उपाधि एवं मध्यप्रदेश राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीयन।	04	07	12	07	30
जिसमें से महिलाओं के लिए रिक्त पद			00	04	00	02	06

(2) आयु:-संविदा नियुक्ति के लिए 01,जनवरी,2018 को न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष होगी।

(3) सेवा निवृत्त शाराकीय सेवक की नियुक्ति-सेवा निवृत्त चिकित्सक यदि आयु तथा अन्य अर्हता रखते हैं तो वे भी संविदा नियुक्ति के लिए हकदार होंगे।

(4) निरर्हता-कोई भी अग्रार्थी संविदात्मक नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा,यदि उसकी दो से अधिक संतानें हैं,जिनमें से एक का जन्म 26जनवरी,2001 को या उसके पश्चात् हुआ था।

(5) संविदा नियुक्ति की कालावधि एवं पदस्थापना- संविदा चिकित्सा अधिकारी की संविदा की कालावधि नियुक्ति दिनांक से अधिकतम दो वर्ष होगी।

(6) चयन हेतु मेरिट तैयार करने के मापदंड:- (1) स्नातक उपाधि (प्राप्त अंकों का भारांश अनुपात में) 65 अंक, (2) स्नातकोत्तर के लिए 10 अंक, डिप्लोमा के लिए 05 अंक (प्रत्येक प्रयत्न हेतु ऋणात्मक 2 अंक डिग्री एवं 01 अंक डिप्लोमा) , (3) एन.सी.सी.का 'सी' प्रमाण पत्र अथवा एन.एस.एस.का प्रमाण पत्र 05 अंक, (4) पुरुष खिलाड़ी/महिला खिलाड़ी जिसने विश्वविद्यालय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया हो 05 अंक, (5) किसी चिकित्सा संस्था में चिकित्सक के रूप में अनुभव (अधिकतम 05 अंको के अध्ययाधीन रहते हुए प्रत्येक वर्ष के लिए एक अंक) 05 अंक एवं (6)साक्षात्कार 10 अंक।

(7) पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की सूचना उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिए गए पत्र व्यवहार के पते पर दी जाएगी तथा साक्षात्कार पश्चात् उपरोक्त मापदण्ड अनुसार प्राप्तांकों की अंतरिम मेरिट सूची का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट www.bgtrrd.mp.gov.in पर किया जाकर निर्धारित समय सीमा में दावा/आपत्तियाँ प्राप्त की जाकर दावा/आपत्तियों के निराकरण पश्चात् अंतिम मेरिट सूची, चयनित सूची, व प्रतिक्षा सूची उक्त विभागीय वेबसाइट पर जारी की जाएगी। जिसकी जानकारी के लिए अभ्यर्थी नियमित रूप से उक्त वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

नियुक्ति की अन्य शर्तें निम्नानुसार रहेगी:-

1. चयनित अभ्यर्थी, नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के तत्काल पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी के साथ 50 रुपए के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प करार निष्पादित करेगा। करार के निष्पादन पर होने वाले व्यय, चयनित अभ्यर्थी द्वारा वहन किए जाएंगे। चयनित अभ्यर्थी उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से संविदा सेवा में माना जाएगा।
2. चयनित अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह नियुक्ति आदेश जारी होने के भीतर संविदा नियुक्ति के स्थान पर 15 दिवस में अपना कार्यभार ग्रहण करें। उक्त काल अवधि में कार्यभार न ग्रहण करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द हो जाएगी।
3. संविदा चिकित्सा अधिकारी का चरित्र सत्यापन, शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जाएगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति बिना कोई कारण तुरन्त रद्द कर दी जाएगी।
4. संविदा चिकित्सा अधिकारी द्वारा संविदा राशि प्राप्त करने के पूर्व संविदा अधिकारी स्वयं अपने खर्चे पर जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा किया जाने वाला चिकित्सीय परीक्षण करवाएगा। इस चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाए जाने पर ही संविदा नियुक्ति वैध होगी। सेवा निवृत्त शासकीय सेवक को भी, यदि वे संविदा अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाएं, ऐसा चिकित्सीय परीक्षण करवाना आवश्यक होगा।
5. संविदा चिकित्सा अधिकारी पद हेतु साक्षात्कार से पूर्व अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों का सत्यापन आवेदन में संलग्न दस्तावेजों के साथ किया जाएगा। सत्यापन के समय यदि कोई भी दस्तावेज पूर्ण/सही नहीं पाया जाता है तो उसका साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।
6. नियुक्ति पश्चात् किसी भी समय यदि कोई भी अभिलेख असत्य या छिपाए हुए पाए जाते हैं तो संबंधित की संविदा नियुक्ति तत्काल समाप्त की जाएगी व संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।
7. संविदा चिकित्सा अधिकारी शासकीय सेवा में नियमितिकरण के लिए हकदार नहीं होंगे और न ही भविष्य में इस नियुक्ति के आधार पर किसी प्रकार के नियमितिकरण का दावा कर सकेंगे।
8. संविदा नियुक्ति, किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय पर एक माह का सूचना या एक माह की संविदा राशि का भुगतान करके संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
9. संविदा चिकित्सा अधिकारी बिना किसी विशिष्ट कारण के बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से एक माह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तारीख से स्वतः समाप्त हुई मानी जाएगी।
10. संविदा चिकित्सा अधिकारी एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 15 दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। वह एक समय में अधिकतम 3 दिनों के आकस्मिक अवकाश का उपभोग कर सकेगा/सकेगी। महिला संविदा कर्मचारी जिसकी दो से कम जीवित संतान हों अधिकतम 90 दिनों की कालावधि के लिए प्रसूति अवकाश की हकदार होगी। उपरोक्त अवकाश स्वीकृत करने की शक्तियाँ संबंधित इकाई प्रमुख में निहित होंगी।
11. संविदा चिकित्सा अधिकारी उसकी संविदात्मक कालावधि के लिए किन्हीं पेन्शन संबंधी प्रसुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस आदि भी देय नहीं होगा।
12. अन्य सेवा संबंधी शर्तें ऐसी होगी, जैसी नियुक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं।
13. इसके अतिरिक्त संचालनालय, गैस राहत एवं पुनर्वास द्वारा आवश्यक सेवा शर्तों का समावेश नियुक्ति के समय किया जा सकता है।
14. संविदा चिकित्सा अधिकारी को चिकित्सालय की आवश्यकता अनुसार एवं निर्धारित टाइम टेबिल अनुसार ड्यूटी चिकित्सालय में देनी होगी। ड्यूटी प्रातः 8 से 2 बजे तक दोपहर 2 से 8 बजे अथवा रात्रि 8 से अगले दिन प्रातः 8 बजे तक की होगी। अवकाश दिवस में ड्यूटी एवं रात्रिकालीन ड्यूटी का आफ संचालनालय, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के नियमानुसार दिया जावेगा।
15. संविदा चिकित्सा अधिकारी भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग द्वारा राजपत्र में प्रकाशित संविदा नियम-2003 में निहित व समय समय पर शासन द्वारा संशोधित किए गए अन्य प्रावधानों के भी अधीन होगा।
16. यह नियुक्ति विशिष्ट चिकित्सा इकाई के लिए होगी व स्थानांतरण की पात्रता नहीं होगी।

संचालक

भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, भोपाल